कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर (जेएण्डके) के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 07 नवंबर 2015 को एक समग्र पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की गयी थी। प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) में निम्नलिखित पाँच प्रक्षेत्रों (स्तंभों) के अंतर्गत ₹80,068 करोड़ के परिव्यय सहित 63 परियोजनाएं सम्मिलित थी:

- मानवीय राहत[1],
- संकट प्रबंधन[2],
- सामाजिक अवसंरचना[3],
- विकास परियोजनाएं[4] और
- आर्थिक अवसंरचना[5]

पीएमडीपी, एक पुनर्निर्माण योजना का मूल लक्ष्य, आर्थिक अवसंरचना का विस्तार करना; आधारभूत सेवायें सुनिश्चित करना; रोजगार एवं आय सृजन पर जोर देना; सितंबर 2014 बाढ़ों के पीड़ितों को पुनर्वास और राहत उपलब्ध कराना तथा तत्कालीन राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली को सशक्त करना है। पीएमडीपी तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के तीन प्रदेशों जम्मू, कश्मीर एवं लद्दाख के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना को सशक्त करने का भी अनुसरण करता है।

पीएमडीपी के अंतर्गत, ₹44,083 करोड़ के परियोजना परिव्यय सहित भारत सरकार के छह मंत्रालय/ अभिकरण 24 परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं और ₹35,985 करोड़ के परियोजना परिव्यय सहित जम्मू एवं कश्मीर सरकार (जीओजेएण्डके) के 14 विभाग/ अभिकरण 39 परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे

---

1 ₹6,313 करोड़ के परिव्यय सहित।

2 ₹5,858 करोड़ के परिव्यय सहित।

3 ₹8,057 करोड़ के परिव्यय सहित।

4 ₹5,521 करोड़ के परिव्यय सहित।

5 ₹54,319 करोड़ के परिव्यय सहित।

हैं। इन 39 परियोजनाओं के संबंध में मार्च 2019 तक, कुल ₹11,100.28 करोड़ की राशि निर्गत की गयी थी तथा ₹9,282.84 करोड़ का व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए यह आंकलन करना था कि क्या:

- कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों का निर्मोचन, लेखाबद्धीकरण और उपयोग किया गया था;
- संरचनात्मक क्रियाविधियाँ स्थापित थी; परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं और स्टाफ आवश्यकताएं पर्याप्त एवं प्रभावी थी;
- लागू वित्तीय नियमावली और स्थायी आदेशों/ अनुदेशों के प्रावधानों का अनुपालन;
- रोजगार प्राप्त कर लिया गया था और क्या यह निहित मानदण्डों के अनुसार था;
- पात्र हितभागियों की उचित प्रकार से पहचान की गयी थी और उन्हें निहित मानदण्डों के अनुसार वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया था;
- निर्माण कार्यों का निष्पादन मितव्ययिता और प्रभावी रूप से संचालित किया गया था; और
- झेलम नदी के बाढ़ प्रबंधन निर्माण कार्यों के अनुवीक्षण तथा क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनः स्थापन हेतु क्रियाविधि स्थापित थी।

लेखापरीक्षा नमूना को जोखिम और भौतिकता कारकों को सम्मिलित करते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में उनकी उपलब्धियों के आधार पर तैयार किया गया था। तदनुसार, लेखापरीक्षा द्वारा चार प्रक्षेत्रों, मानवीय राहत, संकट प्रबंधन, सामाजिक अवसंरचना तथा विकास परियोजनाओं ***(परिशिष्ट 1.2)*** के अंतर्गत जीओजेएण्डके द्वारा निष्पादित की जा रही पीएमडीपी की 39 परियोजनाओं में से 16 परियोजनाओं की अप्रैल 2019 से नवंबर 2019 की अवधि के दौरान नमूना जाँच की गयी थी।

प्रधान सचिव, योजना विकास तथा निगरानी विभाग, जीओजेएण्डके के साथ 20 मई 2019 को एक प्रविष्टि सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, विषय क्षेत्र, मापदण्ड और कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, जीओजेएण्डके के

साथ 20 अगस्त 2020 को आयोजित एक एक्जिट सम्मेलन में चर्चा की गयी थी जिसमें जीओजेएण्डके के सभी विभागों/ कार्यान्वयन अभिकरणों के प्रमुखों ने सहभागिता की थी। विभाग के उत्तरों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त एवं समुचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

जबकि इस लेखापरीक्षा अंतःक्षेप का कुल वित्तीय प्रभाव ₹2,125.21 करोड़ है, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से संबंधित महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों एवं उनसे संबद्ध अनुशंसाओं को निम्नलिखित पैराग्राफ में संक्षिप्त किया गया है।

मानवीय राहत

पूर्णतः क्षतिग्रस्त/ अति क्षतिग्रस्त/ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता

जीओआई के द्वारा निर्मोचित ₹1,194.85 करोड़ में से जम्मू एवं कश्मीर सरकार (वित्त विभाग) ने ₹102.80 करोड़ को रोके रखा था। बाढ़ प्रभावित आवासीय मकानों को क्षतियों का मूल्यांकन करने वाले गैर-तकनीकी अधिकारियों के प्रारंभिक प्रतिवेदनों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है। सात नमूना जाँच किये गये जिलों में, सितंबर 2014 की बाढ़ों के तुरंत बाद क्षतिग्रस्त के रूप में पहचाने गये 1.69 लाख घरों में से, मार्च 2019 तक 1.58 लाख परिवारों को एसडीआरएफ के अंतर्गत, 1.46 लाख परिवारों को पीएमएनआरएफ के अंतर्गत और 1.40 लाख परिवारों को पीएमडीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया था। जम्मू और राजौरी जिलों में 184 मामलों में ₹63.45 लाख की वित्तीय सहायता उन परिवारों के लिए उपलब्ध करायी गयी थी जो सितंबर 2014 की बाढ़ों के पश्चात् तैयार की गयी सूची में नहीं थे। छह जिलों में, ₹73.85 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का भुगतान 85 प्रभावित परिवारों को उनके बैंक खातों में किया गया था। सहायक आयुक्त (राजस्व), राजौरी ने प्राधिकार के बिना वस्तुओं के क्रय और पुनः स्थापन निर्माण कार्यों/ किये गये कार्य की देयताओं की निर्बाधता हेतु ₹16.10 लाख अपयोजित किये थे। वित्त विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग को निधियों के निर्मोचन में 47 दिवसों से 31 महीनों तक के बीच का विलंब था।

(पैराग्राफ: 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.4, 2.2.4.2 एवं 2.2.4.3)

जम्मू प्रवासियों के लिए पुनर्वास पैकेज

प्रवासी परिवारों के सम्यक् सत्यापन के उपरांत, जेएण्डके के अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) द्वारा पात्र हितभागियों की पहचान करने के बावजूद, जम्मू प्रवासियों और उनके परिवारों का डेटाबेस तैयार नहीं किया गया था तथा जन्म, मृत्यु, अलगाव इत्यादि के कारण उसे आगे अद्यतित नहीं किया गया था। ₹78.63 लाख की बकाया राशि का भुगतान उन 72 प्रवासी परिवारों को किया गया था, जो न तो जेएण्डके के सीआईडी द्वारा तैयार की गयी सूची में थे और न ही न्यायालयों के निर्देशों पर तैयार की गयी सूची में थे। 84 प्रवासी परिवारों को ₹67.14 लाख की नगद सहायता का अतिरिक्त संवितरण एवं प्रवासी के रूप में उनके पंजीकरण से पूर्व की अवधि हेतु 49 प्रवासी परिवारों को ₹75.53 लाख के बकायों का अस्वीकार्य भुगतान किया गया था। इसके अलावा, राशन की लागत पर ब्याज के कारण 159 प्रवासी परिवारों को ₹28.99 लाख के बकायों का अतिरिक्त भुगतान भी देखा गया था। 20 प्रवासी परिवारों को प्रवासियों के रूप में उनके पंजीकरण के पश्चात् कोई नकद सहायता का भुगतान नहीं किया गया था, यद्यपि इन परिवारों को मुफ्त राशन की अनुमति प्रदान की गयी थी।

(पैराग्राफ: 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 एवं 2.3.7)

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर (पीओजेके) और छम्ब से विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों को एक बार बसने के लिए पुनर्वास पैकेज

इस पैकेज के अंतर्गत सन् 1947 में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर (पीओजेके) और 1965 तथा 1971 वर्षों के दौरान छम्ब से विस्थापित 36,384 परिवारों को एक बार बसने के लिए जीओआई से ₹2,000 करोड़ की सहायता उपलब्ध करायी जानी थी। तथापि, जम्मू एवं कश्मीर से बाहर रहने वाले परिवारों को सम्मिलित करते हुए विस्थापित व्यक्तियों की पहचानों को स्थापित करने हेतु कोई सर्वेक्षण संचालित/ डाटाबेस अनुरक्षित नहीं किया गया था। चौसठ अपात्र या संदिग्ध मामलों को ₹3.52 करोड़ की वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया था। उपर्युक्त के अतिरिक्त, 80 आवेदकों को सम्मिलित करते हुए 40 मामलों में, समान दस्तावेजों की प्रतियों का दो बार उपयोग किया गया था और व्यक्तियों द्वारा परिवारों का बंटवारा करते हुए या तथ्यों की अन्यथा प्रस्तुति द्वारा पृथक रूप से दो बार सहायता का दावा किया गया था, जिसने ₹2.31 करोड़ के अदेय/ गलत भुगतान का मार्ग प्रशस्त किया।

(पैराग्राफ: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.6, 2.4.7 एवं 2.4.9)

व्यापारियों/ स्व-नियोजित/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आजीविका के पुनः स्थापन हेतु सहायता पर ब्याज संसहायिकी

योजना का मुख्य उद्देश्य जम्मू एवं कश्मीर में सितंबर 2014 की बाढों के दौरान प्रभावित व्यापारियों/ स्व-नियोजित/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों इत्यादि की आजीविका के पुनः स्थापन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। तथापि, बैंक द्वारा 107 खातों के लिए ₹0.75 करोड़ की सीमा तक ब्याज संसहायिकी उपलब्ध करायी गयी जो इसके लिए पात्र नहीं थे। परियोजना हेतु निर्गत निधियों से ₹456.26 करोड़ (57 प्रतिशत) की राशि को सितंबर 2014 की बाढ़ से अप्रभावित 19 हाउसबोट मालिकों के बकाया ऋण के निपटान के प्रति (₹1.47 करोड़), शिल्पकार क्रेडिट कार्डों पर ब्याज के बकाया शेष (₹26 करोड़), किसान क्रेडिट कार्ड योजना (₹244.10 करोड़), मुख्यमंत्री व्यावसायिक ब्याज राहत योजना (₹180 करोड़), निजी न्यास के प्रति (₹0.55 करोड़) और निराश्रित महिलाओं/ क्षतिग्रस्त घरों के प्रति (₹4.14 करोड़) अपयोजित किया गया था। 425 व्यापारिक इकाइयों/ व्यापारियों को निर्धारित सीमा से अधिक ₹39.15 लाख की वित्तीय सहायता संवितरित की गयी थी, जिसमें से ₹0.35 लाख वसूल किये गये थे।

(पैराग्राफ: 2.5.1, 2.5.3.2, 2.5.4.1, 2.5.4.2, 2.5.5, 2.5.5.1 एवं 2.5.5.2)

जम्मू एवं कश्मीर में पाँच भारतीय रिज़र्व बटालियनों का सृजन

अशांति के अचानक एवं व्यापक विस्फोट से उत्पन्न परिनियोजनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, गृह मंत्रालय, जीओआई ने पीएमडीपी के अंतर्गत 'पाँच भारतीय रिज़र्व (आईआर) बटालियनों के सृजन' हेतु एक परियोजना को संस्वीकृति (फरवरी 2016) प्रदान की थी। परियोजना पर ₹116.21 करोड़ का व्यय किया गया था एवं मार्च 2019 की समाप्ति तक निधियों का उपयोग 58 प्रतिशत था। तथापि, नये सृजित पाँच आईआर बटालियनों हेतु 5,035 पुलिस कर्मियों की संस्वीकृत संख्या के प्रति 1,238 कार्मिकों (25 प्रतिशत) की समग्र कमी थी। वरिष्ठ रैंकों (हेड कांस्टेबल से) में कमियाँ 88 प्रतिशत थी।

(पैराग्राफ: 2.6.1, 2.6.2 एवं 2.6.4)

संकट प्रबंधन

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अतिरिक्त बालिका छात्रावासों का निर्माण

चयनित पाँच महाविद्यालयों में से चार में, नामांकन के आधार पर जम्मू एवं कश्मीर आवास बोर्ड को सरकारी डिग्री कॉलेजों में बालिका छात्रावासों का निर्माण कार्य आबंटित किया गया था। चयनित महाविद्यालयों की छात्राओं को छात्रावास की सुविधा से वंचित रखते हुए, छात्रावासों का निर्माण जो कि कार्य को प्रदान करने की तिथि (फरवरी 2018) से आठ महीनों के अंदर पूरा किया जाना था, अभी तक पूर्ण (अक्टूबर 2020) नहीं किया गया था। यह ₹50 करोड़ की संस्वीकृत लागत के प्रति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सात सरकारी डिग्री कॉलेजों के बैंक खातों में सीधे ही (जुलाई 2017 से अक्टूबर 2018) निर्गत किये गये ₹23.75 करोड़ के बावजूद किया गया था। केवल ₹15.29 करोड़ (तत्कालीन राज्य योजना के अंतर्गत निर्गत निधियों को सम्मिलित करते हुए) का व्यय किया गया (सितंबर 2020) था।

(पैराग्राफ: 3.2.1 एवं 3.2.3)

जम्मू एवं कश्मीर में हाई एन्ड सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था प्रणाली

भिन्न-भिन्न और उच्चतर दरों पर दो विनिर्माताओं से विलंब सहित, अनुमानित अत्यावश्यकता के बावजूद, गैर-सांपत्तिक मध्यम बुलेट प्रूफ वाहनों (एमबीपीवी) की अधिप्राप्ति को सांपत्तिक बताया गया था, जिसका परिणाम ₹9.20 करोड़ के अतिरिक्त व्यय और संस्वीकृत वाहनों की अपेक्षित संख्या की अधिप्राप्ति नहीं होने के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ: 3.3.2.2)

झेलम नदी एवं इसकी सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन हेतु व्यापक योजना चरण I

तलकर्षण के संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी थी जो बाढ़ स्पिल चैनल (एफएससी) के माध्यम से और झेलम नदी के बाढ़ जल की वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए परियोजना के अंतर्गत अपेक्षित थी। बाढ़ जल की अपवाह क्षमता को बढ़ाने हेतु एफएससी के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक उत्खननाधीन थे।

(पैराग्राफ: 3.4.6.1)

विभाग ने संविदा के निबंधन और शर्तों का पालन करने में विफलता हेतु तलकर्षण के लिए विनियोजित संविदाकार की निष्पादन बैंक प्रत्याभूति से कोई राशि जब्त नहीं की थी।

(पैराग्राफ: 3.4.6.1 (I एवं II))

क्षतिग्रस्त अवसंरचना का स्थायी पुनः स्थापन

'क्षतिग्रस्त अवसंरचना का स्थायी पुनः स्थापन' परियोजना का प्रमुख उद्देश्य सितंबर 2014 की बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त अवसंरचना का पुनः स्थापन करना था। परियोजना के अंतर्गत, चयनित सात विभागों में 9,076 निर्माण कार्यों/ योजनाओं को निष्पादन हेतु आरंभ किया गया था।

5,707 निर्माण कार्यों पर ₹610.85 करोड़ का व्यय किया गया था जिन्हें आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदनों एवं तकनीकी संस्वीकृतियों को प्राप्त किये बिना निष्पादन हेतु आरंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त, निविदाओं को आमंत्रित किये बिना गैर-पारदर्शी तरीके से 5,285 निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु ₹328.88 करोड़ का व्यय भी किया गया था।

(पैराग्राफ: 3.5.1, 3.5.3 एवं 3.5.4)

सामाजिक अवसंरचना

हिमायत योजना के अंतर्गत उठाये गये कदम

वर्ष 2016-19 एवं 2019-22 के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका हिमायत प्रबंधन मिशन (जेकेएसआरएलएम) ने तीन वर्षीय योजना किसी आधारभूत सर्वेक्षण एवं कौशल अंतराल को दर्शाने के लिए विश्लेषण किये बिना तैयार की थी। कार्यान्वयन इकाई (एचएमएमयू) में, 340 संस्वीकृत पदों के प्रति जिला एवं खण्ड स्तरों पर 100 प्रतिशत की कमी सहित, शीर्ष स्तर पर पदों की 63 प्रतिशत तक कमी थी। मानित तिथि और आरंभ की वास्तविक तिथि के संबंध में, 20 कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा परियोजनाओं को आरंभ करने में बड़ी देरी हुयी थी। वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान, 53,547 युवाओं को प्रशिक्षित किये जाने के उद्देश्य के प्रति, केवल 4,494 युवाओं (8 प्रतिशत) को प्रशिक्षित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 4,494 प्रशिक्षित युवाओं में से, केवल 732 युवाओं (16 प्रतिशत) को नौकरियों पर रखा गया था। प्रक्रिया के अनुवीक्षण हेतु टीमें स्थापित नहीं थी।

(पैराग्राफ: 4.2.5, 4.2.7, 4.2.7.1, 4.2.8 एवं 4.2.9)

विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) को ₹3,000 प्रति माह से ₹6,000 प्रति माह तक पारिश्रमिक की बढ़ी हुयी दर

परियोजना का मुख्य उद्देश्य विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के रहने की स्थितियों में सुधार करना था। विभाग द्वारा एसपीओ के चयन में अपनाये गये तदर्थ दृष्टिकोण का परिणाम 2,650 एसपीओ, जिन्हें अविनियोजित किया जाना था, के रूप में हुआ। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किये गये जिलों में, अतिरिक्त जनशक्ति को नियमितीकरण के बिना रोके रखा था।

(पैराग्राफ: 4.3.1 एवं 4.3.2)

विकास योजनाएं

पुनर्नवीकरण और शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन (एएमआरयूटी)

लेह परियोजना में जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत जल वितरण नेटवर्क, यद्यपि एक ऐसे क्षेत्र हेतु बिछाया गया था जो एक डम्पिंग स्थल था, अपूर्ण रहा था। जल आपूर्ति परियोजना, अनंतनाग के निर्माण कार्यों को आरंभ करने से पूर्व भूमि के गैर-अधिग्रहण का परिणाम योजना के निष्पादन में विलंब और मशीनरी/ उपकरण के अप्रयुक्त रहने के रूप में हुआ, जिससे ₹4.14 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ: 5.2.4.1 (I एवं II))

जम्मू शहर में सीवरेज उपचार संयंत्र के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण लंबित और निविदा, निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलंब हुआ था, जो ₹6.36 करोड़ का व्यय करने के बावजूद, अपूर्ण रहे।

(पैराग्राफ: 5.2.4.2 (I))

विभाग ने जम्मू शहर में सेप्टेज उपचार संयंत्र का निर्माण क्षेत्र में सेप्टेज के यथार्थवादी मूल्यों को अभिनिश्चित किये बिना, तकनीकी मामलों का समाधान किये बिना और पर्यावरणीय निर्बाधता के अभाव में आरंभ किया था। परिणामस्वरूप, ₹4.16 करोड़ का व्यय निष्फल करते हुए, परियोजना को पूर्ण नहीं किया जा सका। परियोजना पर किये गये ₹7.67 करोड़ के व्यय सहित, श्रीनगर शहर में सेप्टेज प्रबंधन योजना लगभग तीन वर्षों तक सक्शन-सह-जेटिंग मशीनों की अधिप्राप्ति हेतु संविदा को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण पूर्ण नहीं की जा सकी।

(पैराग्राफ: 5.2.4.3 (I एवं II))

जम्मू शहर में इंटेलिजेन्ट लाइटिंग सिस्टम का उद्देश्य परियोजना के कुछ महत्त्वपूर्ण घटकों (लाल बत्ती संकेत उल्लंघन संसूचन (आरएलवीडी) प्रणाली) के गैर-निष्पादन तथा 64 चौराहों पर यातायात संकेतकों के उल्लंघन के अनुवीक्षण हेतु क्रियाविधि के गैर-अस्तित्व के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका, जिसने परियोजना के उद्देश्य को विफल कर दिया। स्थल चयन संबंधी मामलों ने अनंतनाग, जम्मू और श्रीनगर में मल्टी कार पार्किंग परियोजनाओं को गंभीर रूप से बाधित किया।

(पैराग्राफ: 5.2.4.5 (I) एवं 5.2.4.6)

जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु चालू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन परियोजनाओं की शेष केन्द्रीय अंश देयता

विभाग द्वारा मामलों के निपटान में विलंब एवं कार्य के निष्पादन में अनुचित योजना के साथ समयबद्ध तरीके से भूमि के गैर-अधिग्रहण का परिणाम निधियों की उपलब्धता के बावजूद, लेह में 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' की परियोजना के अपूर्ण रहने के रूप में हुआ और इसने पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए खतरा होते हुए खुले क्षेत्रों में कस्बे के अपशिष्ट के निपटान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा, ₹9.18 करोड़ का व्यय काफी हद तक निष्फल रहा।

(पैराग्राफ: 5.3.3.2)

'जल आपूर्ति योजना लेह' के लिए नलकूपों के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहित करने में विभाग की विफलता ने इसके स्रोत की गैर-स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जिसका परिणाम ₹51.10 करोड़ के अप्रयुक्त निवेश के रूप में हुआ। ₹10.48 करोड़ की राशि को अननुमोदित मदों/ निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु 'लेह में सड़क नेटवर्क सुधार' परियोजना से अपयोजित किया गया था।

(पैराग्राफ: 5.3.3.3 एवं 5.3.3.4)

जम्मू एवं कश्मीर शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम की बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना और पीएमआरपी 2004 के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं का समापन: प्रतिस्थानी वित्त पोषण - एडीबी II

आठ उप-परियोजनाओं की मूल संविदा राशि से अधिक सकल वृद्धि 24 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के बीच रही और इन उप-परियोजनाओं की लागत को एशियाई विकास बैंक का अनुमोदन प्राप्त किये बिना संशोधित किया गया था। उप-परियोजनाओं

'(i) घरेलू जल मीटरों की आपूर्ति, संस्थापन और अपसारण के माध्यम से गैर राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) का आंकलन एवं विश्लेषण (ii) स्वचालित मीटर रीडरों सहित जल मीटरों के संस्थापन द्वारा एनआरडब्ल्यू की कमी हेतु प्रबंधन' का उद्देश्य पहचानी गयी अवस्थितियों में जल हानियों को कम करना और एक व्यापक गैर-राजस्व जल कमी योजना को तैयार करना प्राप्त नहीं किया गया था, क्यों कि परियोजना निष्पादन में अंतरालों और जल आपूर्ति नेटवर्क से संबंधित आधारभूत आँकड़ों के अभाव, संविदाकार को लाइन विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये उपभोक्ता डेटाबेस तथा अद्यतित पाइप लाइन नेटवर्क के कारण जल हानियों की सीमा का आंकलन नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ: 5.4.5.3 एवं 5.4.7)

क्षतिग्रस्त/ नष्ट परिसंपत्तियों के बदले में सरकारी पर्यटक परिसंपत्तियों का निर्माण

इस परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्मित पर्यटक परिसंपत्तियों के प्रचालन तथा प्रबंधन हेतु विभाग के पास कोई योजना नहीं थी। सितंबर 2020 तक, 23 उप-परियोजनाओं में से, 15 उप-परियोजनाएं पूर्ण हो गयी थी और एक परियोजना छोड़ दी गयी थी जबकि सात उप-परियोजनाएं निष्पादनाधीन थी।

(पैराग्राफ: 5.5.1 एवं 5.5.4)

अनुशंसाएं

सरकार को चाहिए:

- *अपात्र हितभागियों, जिन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है, को संवितरित अस्वीकार्य और अतिरिक्त भुगतानों की वसूली के लिए कदम उठाना;*
- *प्रवासियों के विवरण को प्राप्त और अद्यतित करने के लिए प्रवासियों के सतत् डेटाबेस को तैयार करना जिससे वास्तविक प्रवासी परिवारों को समय पर सहायता उपलब्ध करायी जा सके;*
- *जीओजेएण्डके की अन्य योजनाओं/ कार्यक्रमों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत हितभागियों को भुगतान के लिए ब्याज संसहायिकी योजना से अपयोजित निधियों की प्रतिपूर्ति करना;*
- *इन परियोजनाओं में शामिल भूमि अधिग्रहण, विलम्बों, भूमि प्रतिकर के मामलों के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाना;*

- *हाई एन्ड सुरक्षा परियोजना के अंतर्गत वाहनों/ उपकरण हेतु अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना ताकि खरीदें समय पर और अपेक्षित संख्या में की जा सके;*
- *बटालियनों को उनके पूर्णरूपेण परिचालन हेतु पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध करवाना;*
- *अस्थायी गबन को सम्मिलित करते हुए निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्रियाविधि स्थापित करना और हिमायत योजना के तकनीकी सहायता अभिकरण के संपर्क एवं निगरानी को शामिल करते हुए जिला तथा खण्ड स्तरों पर स्टाफ की भर्ती द्वारा उचित संरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराना;*
- *भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्रों, वित्तीय समाप्ति और परियोजना समापन प्रतिवेदनों की तैयारी हेतु समय सीमा का पालन करना;*
- *परियोजनाओं के समय पर समापन हेतु, विशेष रूप से वे जिनमें बाह्य सहायता शामिल है, सभी शामिल अभिकरणों/ विभागों के संयुक्त प्रयास तथा समन्वय करना;*
- *तकनीकी एवं भारी अभियांत्रिकी शामिल परियोजनाओं के संदर्भ में सहायता के लिए प्रभाव क्षेत्र विशेषज्ञों को विनियोजित करना; और*
- *निधियों का अपयोजन, निविदा के बिना कार्य का निष्पादन इत्यादि व्यपगमनों हेतु जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करना और उत्तरदायित्व निर्धारित करना।*